

20-1-2020

पत्तावली आज पेश हुई  
प्राचीन पत्र बखस में प्राचीन अभिकर्ता  
ने प्राचीन पत्र के लक्ष्य को देखते  
हुए अपात्री संख्या १ के विरुद्ध  
निवेदन किया कि प्राचीन के खातेदार  
भूमि सर्वे नम्बर 1257/364 रकबा  
0.4854 हेक्टर जिस खुली गाँव  
शेखी पश्चात बहका गडशुभजी  
में प्राचीन कारत में कोई बाधा  
और रकबा पर पैदा नहीं करे और  
न ही किसी अन्य से कराये।  
अप्रात्री 1, और २ के  
कमील के द्वारा विरोध व्यक्त

करते हुन उम्त भूमि से अधिक  
की भूमि का अपाधी । वे कहे  
काश्त की है । पर प्राधी द्वारा  
अनिक्रमण करना कहीं ।

पचावली का ~~जानपूर्वक~~  
~~द्वयामपूर्वक~~ व्यवस्थापन किया गया  
पचावली में प्राधी द्वारा पेय जमावेंदिया  
देखी गई जिस पर उम्त प्राधी-  
पचने अपाधीगण का कोई अपाध  
सर्वं परस्तावेज जैसे नहीं है ।  
जमावेंदी के अनुसार प्राधी पच  
की कलक संख्या लीने में व्यक्त  
भूमि वादीगण / प्राधी में खाते वारी  
है । अतः मूल वाद के निस्तारण  
तए अपाधी संख्या २ को जरिने  
अस्थाई निवेद्याशा पावेंद प्रिया  
जाता है कि वह प्राधी को उलकी  
भूमि से वेदपल नही करे तब  
प्राधी के काश्त में कोई वगमावट  
पेदा नहीं करे ना ही किसी अन्य  
से करावे ।

आरिथ सुले न्यायालय में सुनाया गया

हुकम या कार्यवाही मय इनीसीयल जज

कम

नंबर व  
अहकाम  
हुकम को  
जा

पचावणी नम्बर ल कम हो  
पैसल सुकार हो दारि ल कफक  
ले मूल पचावणी के साथ संलग्न  
होके होके /

de  
SDO